भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4299

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारतीय पारम्परिक चिकित्सापद्धतियों को बढ़ावा देना

4299. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक रूप से बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी उपचार पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई आयुष योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा युवा चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए प्रदान किए गए अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईसी स्कीम) विकसित की है, जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सरल बनाता है; हितधारकों के बीच परिचर्चा को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष बाजार का विकास करता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और अभिरुचि के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- आपसी हित पर आयुष से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए देश स्तरीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विदेशी देशों के साथ सहयोग। विदेशी देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 देश दर देश स्तर पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए;
- अनुसंधान/अकादमिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर;
- विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आयुष पीठों की स्थापना के लिए 15 समझौता ज्ञापन;
- आयुष विशेषज्ञ (अल्पकालिक/दीर्घकालिक) की प्रतिनियुक्ति;
- आयुष के क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के आयोजन या सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों के साथ सहयोग;
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु भारत या विदेश में सम्मेलन,सेमिनार, एक्सपो इत्यादि का आयोजन;
- आयुष पद्धति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व भर के विभिन्न देशों में 42 आयुष सूचना प्रकोष्ठ (केंद्र) की स्थापना;
- विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और बहुपक्षीय मंचों में आयुष का प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष में नैदानिक अनुसंधान करने के लिए सहायता देना;
- आयुष उत्पादों और सेवाओं आदि के निर्यात को बढ़ावादेने के लिए भारतीय आयुष निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है।

- भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में विदेशी नागरिकों को पाठ्यक्रमों के लिए आयुष छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के बाद आईडीवाई एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है, जिसमें दूतावासों, योग चिकित्सकों और स्थानीय समुदायों के माध्यम से विश्व भर में बड़े पैमाने पर भागीदारी होती है।
- पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग शिक्षा के लिए सहयोग और विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष पीठों की स्थापना जैसी शैक्षिक पहलें। आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी), योग पेशेवरों और संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमान्य प्रमाणन प्रदान करता है, जिससे शिक्षण और अभ्यास में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय ने आयुष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की है:

- आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (आईसी स्कीम) विकसित की है जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यातको बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और अधिमान्यता को सरल बनाता है; हितधारकों के बीच परिचर्चा को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष बाजार का विकास करता है; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और अभिरुचि के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु विदेशी देशों मेंआयुष अकादमिक पीठों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित करके शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- आयुष मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्रस्थापित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सहयोग प्रदान किया है, जिसका कार्यनीतिक ध्यान प्रमाण और शिक्षण, ऑकड़े और विश्लेषण, स्थिरता और साम्यता, तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी पर है ताकि वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को बेहतर किया जा सके।
- मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को भी क्रियान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। यह राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग मेलों/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मल्टी-मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।
- आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं को विनियमित करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके संबंधित नियमों द्वारा प्रदान किए गए ढांचे का उपयोग करती है, ताकि उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जा सके।
- आयुर्ज्ञान योजना: इस योजना का उद्देश्य देश स्तर पर आयुष स्वास्थ्य सेवाक्षेत्र में क्षमता को बढ़ाना और विकसित करना है। इसका उद्देश्य स्थायी आयुषविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों में सुधार करना, पेशेवरों को पेशेवर अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षकों और डॉक्टरों के ज्ञान को अद्यतन करना और आयुष विकास के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह स्कीम दावों को अधिमान्य बनाने और वैश्विक बाजार में आयुष दृष्टिकोणों और औषधियों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- आयुस्वास्थ्य: आयुस्वास्थ्य योजना का उद्देश्य दो मौजूदा योजनाओं – जन स्वास्थ्य उपचार (पीएचआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को विलय और विस्तारित करके भारत के सामने आने वाली विविध स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं: आयुष और जनस्वास्थ्य, खेल चिकित्सा हेतु आयुष, और उत्कृष्टता केंद्र के लिए सुविधाओं का उन्नयन। आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 12 राष्ट्रीय संस्थान और 05 अनुसंधान परिषदें भी

आयुष चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, अनुसंधान और सार्वजनिक जागरूकता में कार्यरत हैं। इन संस्थानों की बाह्यरोगी और आंतरिक रोगी सेवाएं जन साधारण को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती हैं। आयुष मंत्रालय के तहत पांच अनुसंधान परिषदें अपनी-अपनी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान का समन्वय, निर्माण, विकास औरप्रचार करने के साझा अधिदेश के साथ कार्य करती हैं। ये संस्थान/अनुसंधान परिषदें आम जनता के बीच स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आरोग्य मेले, जागरूकता शिविर, उपचार शिविर, रेडियो और टीवी वार्ता, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम,आदिवासी स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) जैसे आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं।

आयुष पद्धति के प्रचार और प्रसार के लिए एक आयुष अनुसंधान पोर्टल विकसित किया गया है, जहां 43,614 साक्ष्य आधारित शोध लेख सूचीबद्ध हैं। पोर्टल का लिंक https://ayushportal.nic.in/default.aspx है।

(घ): भारत सरकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा (एएसयूएस) क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के माध्यम से निम्नलिखित अवसर प्रदान करती है:

- **प्रकाशन अनुदान:** एनसीआईएसएम आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धति के शिक्षकों, स्नातक और स्नातकोत्तर, और चिकित्सकों को दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता पत्रिकाओं में शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन अनुदान दे रहा है।
- **स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क):** एनसीआईएसएम ने, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के सहयोग से, आयुर्वेद कॉलेजों के स्नातक छात्रों के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क) का शुभारंभ किया। एनसीआईएसएम के सहयोग से, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) तथा केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत क्रमशः सिद्ध और यूनानी कॉलेजों के स्नातक छात्रों के लिए अनुसंधान विकास कार्य का भी शुभारंभ किया।
- **स्नातकोत्तर शोधार्थी (पीजी-स्टार):** एनसीआईएसएम ने, सीसीआरएएस के सहयोग से, स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेद रिसर्च फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्कालर्स (पीजी-स्टार) शुरू की है।
- **साहित्यिक अनुसंधान:** सीसीआरएएस व्यक्तियों को साहित्यिक अनुसंधान के लिए अनुदान दे रहा है और अनुसंधान के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों के साथ कार्य भी कर रहा है।
- **अन्वेषणम रस-भस्म:** आयुर्वेद बोर्ड, एनसीआईएसएम, रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग या मान्यता प्राप्त आयुर्वेद संस्थानों के रसशास्त्र के शिक्षकों और आयुर्वेद चिकित्सकों से नए "रसौषधि" या "नई सामग्री की भस्म" तैयार करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है, जिसका वर्णन किसी भी प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में नहीं है।

*****